संख्या- 18/2016/501/61-2016-23/4-2011टी0सी0 (निर्वाचन-4)

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2016

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, उ0प्र0 में तकनीकी कार्यो में सहयोग प्रदान हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ की व्यवस्था ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-12/2015/518/61-2015-23/4-2011(निर्वाचन-4), दिनांक 05 अगस्त, 2015 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 में तकनीकी कार्यो में सहयोग प्रदान करने हेतु सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, स्टेटिस्टिकल आफिसर एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर के कुल 11 पद सृजित करते हुए आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया था । वर्ष 2017 में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन से संबंधित विभिन्न आई0टी0 गतिविधियों हेतु राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/ एन0आई0सी0 की तकनीकी टीम के मार्गदर्शन में विकसित किये जाने वाले आई0टी0 संबंधी विभिन्न साफ्टवेयर माड्यूल हेतु 04 (चार) प्रोग्रामर की सेवायें दिनांक 01-02-2016 से दिनांक 30-5-2017 तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने हेतु श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इन प्रोग्रामर से लिये जाने वाले प्रस्तावित कार्य विभाग द्वारा पूर्व से नही किये जा रहे हैं और किसी प्रकार की डुप्लीकेसी नही होगी।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-594/दस-2016 दिनांक 02 जून 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या - 18/2016/501(1) /61-2016-23/4-2011 टी0सी0(निर्वाचन-4) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।